संख्या- 76 / 3424 /चार-2015-406 (वि)/2014 टी0सी0-2

प्रेषक,

राम विशाल मिश्रा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई,2015

विषय:-अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-704 /सं0नि-6(16)/10 -11 , दिनांक 26 जून, 2015 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या- 2302/चार-2012-406(वि)/2004 टीसी-2 दिनांक 22 नवम्बर,2012, शासनादेश संख्या-574/चार-2014-406(वि)/2004 टीसी-2 दिनांक 24 मार्च,2014 तथा शासनादेश संख्या-2088/चार-2014-406(वि)/2004 टीसी-2 दिनांक 18 नवम्बर,2014 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 158.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 79.16 लाख (रूपये उन्यासी लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 2302/चार-2012-406(वि)/2004 टीसी-2 दिनांक 22 नवम्बर,2012 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी ।

4 - उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-16- अयोध्या, फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना-24 - बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 76 / 3424 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मण्डलायुक्त , फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

3 - जिलाधिकारी, फैजाबाद ।

4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6 -निदेशक , सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।

7 - परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-21, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद ।

8 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

9 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।